

आदेश

कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के प्रसार से रोकथाम हेतु गृहविभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार के संयुक्तादेश संख्या 34 दिनांक- 03.04.2021 के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के नियंत्राधीन सभी कौशल प्रशिक्षण संस्थानों तथा राज्य के सभी सरकारी एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दिये जा रहे प्रशिक्षण कार्य को आदेश संख्या-235 दिनांक-06.04.2021 द्वारा दिनांक-11.04.2021 तक के लिए स्थगित किया गया था तथा गृहविभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार के आदेश संख्या 2633 दिनांक- 09.04.2021 के आलोक में आदेश संख्या 253 दिनांक- 12.04.2021 द्वारा प्रशिक्षण कार्य को पुनः दिनांक-18.04.2021 तक स्थगित किया गया था। तदोपरान्त गृहविभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार के आदेश संख्या 40 (वि0स0को0) दिनांक-18.04.2021 के आलोक में आदेश संख्या 279 दिनांक-19.04.2021 के द्वारा प्रशिक्षण कार्य को दिनांक-15.05.2021 तक, गृहविभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के आदेश संख्या जी/आपदा-06-02/2020-2884 दिनांक- 13.05.2021 के आलोक में आदेश संख्या 313 दिनांक- 25.05.2021 के द्वारा प्रशिक्षण कार्य को दिनांक-25.05.2021 तक गृहविभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के आदेश संख्या जी/आपदा-06-02/2020-2918 दिनांक- 24.05.2021 के आलोक में आदेश संख्या 318 दिनांक- 28.05.2021 के द्वारा दिनांक 1.06.2021 तक तथा गृहविभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के आदेश संख्या जी/आपदा-06-02/2020-2944 दिनांक-31.05.2021 के आलोक में आदेश संख्या 338 दिनांक- 03.06.2021 के द्वारा प्रशिक्षण कार्य दिनांक-08.06.2021 तक स्थगित किया गया है।

गृहविभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के आदेश संख्या जी/आपदा-06-02/2020-3039 दिनांक-08.06.2021 के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के नियंत्राधीन सभी कौशल प्रशिक्षण संस्थानों तथा राज्य के सभी सरकारी एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दिये जा रहे प्रशिक्षण कार्य को दिनांक-15.06.2021 तक स्थगित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन का अनुमोदन प्राप्त है।

(अरविंदकुमार)

मिशननिदेशक,

बिहारकौशलविकासमिशन।

पटना, दिनांक-09/06/2021

ज्ञापांक-बी0एस0डी0एम0/PMKVY-87/2020- 352

प्रतिलिपि- 1.सभी केंद्र संचालक/केंद्र समन्वयक/प्रशिक्षणार्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

2.निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

3.परियोजना निदेशक, EY/MKCLको सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

4.सभी जिला नियोजन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

5.सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

6.सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव /निदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।

7.अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।

8.मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

9.माननीय मंत्री, श्रम संसाधनविश्रााग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

मिशननिदेशक,

बिहारकौशलविकासमिशन।